न्यायालय,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद

R.J.S.(D.J. Cadre)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 153/2026

(सत्र विचारण संख्या 57/2024 सरकार बनाम चिन्टु एवं अन्य)

(प्रथम सूचना संख्या 399/2023 पुलिस थाना सदर)

चिन्टु मकवाना पुत्र गटु, उम्र 25 वर्ष, निवासी भीलवन, पुलिस थाना सदर, जिला बांसवाडा (राज.) -प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य

- विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता

प्रतिनिधित्व -

1. श्री अजीतसिंह चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. श्री योगेश सोमपुरा, लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक 17 मार्च,2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता का इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2025 को नोट प्रेस किया गया तथा द्वितीय जमानत आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2025 को खारिज किया गया।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.12.2023 को सूचक रमेश ने बमुकाम मोर्चरी एम.जी.एच.बांसवाडा विरूद्ध देवेन्द्र मकवाना एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि घटना दिनांक 09.12.2023 की है। सुबह 8.30 बजे लव मकवाना प्रार्थी के घर आया व बताया कि बाबा लक्ष्मण की लाश बडगांव में हेलमेट व मोटरसाईकिल रोड पर पडी है। प्रार्थी अपने भाई दिनेश व विक्रम के

साथ घटनास्थल पर पहुँचा जहां लाश सडक किनारे डाल रखी थी तथा पुलिस आ गई थी। वहां से एम.जी.हॉस्पिटल बांसवाडा लाये। डॉक्टर ने उन्हें देखकर मृत घोषित कर दिया। जिस पर उन्हे एम.जी.एच. हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा। प्रार्थी के पिता एम.जी. अस्पताल में गार्ड की नौकरी करते थे तथा दिनांक 08.12.2023 को दोपहर में घर से बांसवाडा नौकरी हेतु निकले आज सुबह उसकी लाश बडगांव के पास मिली जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पिता का अपहरण कर अभियुक्त द्वारा हत्या कर दी गई है। अभियुक्त देवेन्द्र मकवाना ने प्रार्थी के पिता की हत्या की धमकी दी थी तथा दो दिन पूर्व भी रास्ते में रोककर धमकी दी व कहा कि मुर्गे की तरह मारकर फेंक दूंगा, इस पर प्रार्थी के पिता ने बताया था कि देवेन्द्र व चिन्टु और उसके परिवार वाले ने उसे हत्या करके फेंक देने की धमकी दी, जिस पर उनके द्वारा समझाने की कोशिश की। उसके पिता की हत्या अभियुक्त देवेन्द्र ने अपने अज्ञात सहयोगियों की मदद से कर दी है। उसके पिता का मोबाईल नंबर 9772982329, बेग में रखे सरकारी दस्तावेज व जेब में रखे तीस हजार रूपये भी देवेन्द्र व उसके साथियों ने लूट लिये.... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सदर बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना संख्या 399/2023 अन्तर्गत धारा 365,302,201, 148, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341,147, 148,365,302,201,114,120बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया बनना पाया जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 16.12.2023 को गिरफ्तार किया गया।

3. उभय पक्षकारान की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गई हो उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, परिवादी एवं अन्य साक्षियों ने प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में कोई सीधा कथन नहीं किया है। अभिषेक के बयान लेखबद्ध हो चुका है। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है तथा चिकित्सा साक्षी व अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य शेष रही है जो औपचारिक है। वह अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है तथा अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रार्थी/अभियुक्त इसी जिले का निवासी है तथा पर्याप्त जमानत देने को तैयार है। अतएव प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

5. तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध न केवल विधिविरूद्ध जमाव गठित कर हत्या का आरोप है, बल्कि दुष्प्रेरक का भी आरोप है, जबकि जमानत प्राप्त करने वाले अन्य अभियुक्तगण पर दुष्प्रेरक का आरोप नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सूचक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 में उल्लेखित किया गया है तथा साक्षीगण ने प्रार्थी/ अभियुक्त के द्वारा मृतक लक्ष्मण के साथ मारपीट करना कहा है, जो जमानत प्राप्त करने वाले अभियुक्त से प्रार्थी/अभियुक्त का मामला भिन्न बनाने वाला है। प्रकरण में चिकित्सा साक्षी, अनुसंधान अधिकारी के अलावा भी अन्य गवाहान यथा बरामदगी सहित अन्य गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त चिन्टु मकवाना के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण दर्ज होने के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है–

क्र.	एफआईआर सं.	थाना	धारा	विशेष विवरण
01	02/2021	सदर	143,447,323,504 IPC	-
02	249/2022	सदर	341,323 IPC	-

उपरोक्त दर्ज किये गये प्रकरणों से दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी रहा है । मान्य न्याय दृष्टान्त सुधासिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 448/2021 के वाद में कण्डिका संख्या 11 में प्रसन्ता कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी व अन्य का उल्लेख कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधों की पुनरावृत्ति की संभावना के कारक का भी उल्लेख किया है। एस.बी.क्रि. विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14301/2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के पश्चात अस्वीकार किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

6. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त चिन्टु मकवाना पुत्र गटु की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(राम सुरेश प्रसाद)

7. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)